



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14022025-261042
CG-DL-E-14022025-261042

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 797]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 14, 2025/माघ 25, 1946

No. 797]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 14, 2025/MAGHA 25, 1946

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 13 फरवरी, 2025

का.आ. 801(अ).—भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार का, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के बाद यह मत है कि यह जनहित में आवश्यक अथवा हितकर है, अतः एतद्वारा निम्नलिखित आदेश करती है, नामतः:-

- संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ - (1) इस आदेश को फर्नीचर (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2025 कहा जाएगा।
(2) यह आदेश शासकीय राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से बारह माह के बाद लागू होगा।

2. मानक चिह्न का अनिवार्य प्रयोग - तालिका के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट वस्तुएं या सामान तालिका के कॉलम (2) में उल्लिखित तदनुरूपी भारतीय मानक के अनुरूप होंगे तथा उनमें भारतीय मानक ब्यूरो (अनुपालन मूल्यांकन) विनियम, 2018 की अनुसूची-II की स्कीम-I के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो के लाइसेंस के तहत मानक चिह्न लगा होगा।
बशर्ते कि इस आदेश में से कुछ भी निर्यात की जाने वाली स्वदेश में विनिर्मित वस्तुओं या सामान पर लागू नहीं होगा।
बशर्ते कि इसके अतिरिक्त सूक्ष्म और लघु उद्यम के संबंध में, जैसा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) की धारा 2 के क्रमशः खंड (ज) और (ड) के तहत परिभाषित किया गया है, यह आदेश इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से अठारह माह की अवधि समाप्त होने के बाद लागू होगा।

वर्षों यह भी कि इस आदेश की कोई भी बात, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के "उद्यम पोर्टल" पर पंजीकृत किसी उद्यम द्वारा घरेलू स्तर पर निर्मित उन वस्तुओं या सामानों पर लागू नहीं होगी, जिनमें मूल लागत पर संयंत्र और मशीनरी या उपकरण में निवेश पच्चीस लाख रुपये से अधिक नहीं है और चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित पिछले वित्त वर्ष का टर्नओवर दो करोड़ रुपये से अधिक नहीं है, को इस आदेश के कार्यान्वयन से छूट दी जाएगी।

3. प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकरण – ब्यूरो तालिका में विनिर्दिष्ट वस्तुओं या सामान के लिए प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकरण होगा।

4. उल्लंघन के लिए पेनल्टी— इस आदेश के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के तहत दंडित किया जाएगा।

तालिका

वस्तु या सामान	भारतीय मानक	भारतीय मानक का शीर्षक
(1)	(2)	(3)
फर्नीचर	17631:2022	वर्क चेयर
	17632:2022	सामान्य प्रयोजन की चेयर और स्टूल
	17633:2022	टेबल और डेस्क
	17634:2022	भंडारण इकाइयां
	17635:2022	बेड
	17636:2022	बंक बेड्स

नोट— इस तालिका के प्रयोजन के लिए, भारतीय मानकों के संबंध में जारी संशोधनों सहित उनके नवीनतम संस्करण, जैसा कि भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए गए हैं, लागू होंगे।

[फा. सं. पी-14031/99/2019-सीआई]

संजीव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (Department for Promotion of Industry And Internal Trade)

ORDER

New Delhi, the 13th February, 2025

S.O. 801(E).—In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following order, namely:—

1. Short title and commencement. – (1) This order may be called the Furniture (Quality Control) Order, 2025.

(2) It shall come into force on the expiry of twelve month from the date of publication of this notification.

2. Compulsory use of Standard Mark. – Goods or articles specified in column (1) of the Table shall conform to the corresponding Indian Standard specified in column (2) of the Table and shall bear the

Standard Mark under a license from the Bureau of Indian Standards as per Scheme-I of Schedule-II to the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018:

Provided that nothing in this order shall apply to goods or articles manufactured domestically for export:

Provided further that nothing in this order shall apply to micro and small enterprises as defined in clauses (h) and (m) respectively of section 2 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006), till the expiry of eighteen months from the date of publication of this notification:

Provided also that nothing in this order shall apply to goods or articles manufactured domestically by an enterprise, registered under "Udyam Portal" of the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, wherein the investment in plant and machinery or equipment at original cost does not exceed twenty-five lakh rupees and the turnover does not exceed two crore rupees for the previous financial year as certified by a Chartered Accountant shall be exempted from implementation of this order.

3. Certification and enforcing authority. –The Bureau shall be the certifying and enforcing authority for the goods or articles specified in the Table.

4. Penalty for contravention. –Any person who contravenes the provisions of this order shall be punishable under the provisions of the Bureau of Indian Standards Act, 2016.

TABLE

Goods or articles	Indian Standard	Title of Indian Standard
(1)	(2)	(3)
Furniture	17631:2022	Work chairs
	17632:2022	General purpose chairs and stools
	17633:2022	Tables and desks
	17634:2022	Storage units
	17635:2022	Beds
	17636:2022	Bunk beds

Note.–For the purposes of this Table, the latest version of Indian Standards including the amendments thereof, as notified by the Bureau of Indian Standards from time to time, shall apply.

[F. No. P-14031/99/2019-CI]

SANJIV, Jt .Secy.